



भारत के समकालीन चुनाव सुधारों का विश्लेषण

राज धारी यादव (असि० प्रोफेसर)

राजनीति विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा

सारांश—

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है चुनाव लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है यह समीक्षा लेख भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चुनावी और प्रशासनिक बदलावों के प्रभावों का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVMs), मतदाता पहचान पत्र, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकरण, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और सूचनाका अधिकार (RTI), अधिनियम, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम जैसी भ्रष्टाचार-विरोधी पहलें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनकी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। चुनाव एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो लोगों के अपने राजनीतिक परिवेश के प्रतिद्वंद्विकोण, मूल्यों और विश्वासों को दर्शाते हैं। वे लोगों को शासन करने का अधिकार प्रदान करते हैं और नेताओं के चयन तथा उनपर नियंत्रण रखनेकी केंद्रीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया हैं। चुनाव लोगों को सरकार में अपना विश्वासव्यक्त करने और आवश्यकतानुसार उसे बदलने का अवसर देते हैं। वे लोगों की संप्रभुता के प्रतीक हैं और सरकार के प्राधिकारको वैधता प्रदान करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य हैं, जैसा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का विकास केवल विधायी निकायों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी चुनावी प्रक्रियाओंके माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह लेख भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही, जन-भागीदारी और शासन-दक्षता को बढ़ावा देने में इन बदलावों की सफलता की पड़ताल करता है। यह उन बाधाओं की भी गहराई से जांच करता है जिनका सामना इन सुधारों को करना पड़ता है, साथ ही उनके निहितार्थों पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, यह भारत में चुनावों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले अतिरिक्त सुधार प्रयासों और बदलावों के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा करता है।

मुख्य शब्द :-

लोकतंत्र, चुनाव आयोग, संसदीय व्यवस्था, चुनाव सुधार, मतदान लोकमत, राजनीति दल, पारदर्शिता, जवाबदेही, ईवीएम, SIR, संस्थागत तंत्र में सुधार



परिचय: -

चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी नींव हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिक सार्वजनिक मामलों में भाग ले सकते हैं और मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। चुनाव ही वह साधन हैं जिनके द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होता है, और ये वे साधन हैं जिनके द्वारा सरकार की सत्ता को वैधता प्रदान की जाती है। इसलिए, चुनाव न केवल लोकतंत्र को बनाए रखते हैं बल्कि उसे जीवंतता भी प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। भारत न केवल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। इसके अलावा, विश्व के अधिकांश स्थापित लोकतंत्रों के विपरीत, भारत आज भी गरीबी, निरक्षरता और इसी तरह की अन्य समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अधिकांश विकासशील देश जूझ रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी होने के साथ-साथ, इसके मतदाता भी अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जो सामाजिक ताने-बाने की अनेक जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं और अन्य विशेषताओं का प्रतिबिंब हैं। देश में नियमित रूप से चुनाव कराना और साथ ही जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में भारत के इतिहास को देखते हुए, पिछले सत्तर वर्षों से आवधिक चुनाव भारत के लोकतंत्र का एक निरंतर और सफल अंग रहे हैं। ये चुनाव एक दल से दूसरे दल को सत्ता के सुचारु हस्तांतरण को सुनिश्चित करने का एक माध्यम हैं। इसके अलावा, भारतीयों ने सरकार के सभी कार्यों, चूक और कुकर्मों के विरुद्ध अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध के सबसे प्रभावी तरीके के रूप में चुनावों पर अपना विश्वास बार-बार दिखाया है। ऐसा कई बार सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार, चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे विश्व भर के अन्य समृद्ध उदार लोकतांत्रिक देशों में हैं (आचार्य, एस. 2020)।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में मतदान प्रणाली के कामकाज में कुछ ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं जो अब अधिक स्पष्ट हो गई हैं। इन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता को देखते हुए अब देश में चुनाव प्रक्रियाओं में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग, जिसे देश में चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की वास्तविक शक्ति प्राप्त है, ने समय-समय पर चुनावों के संचालन में आने वाली वस्तुनिष्ठ कठिनाइयों के आधार पर ठोस प्रस्ताव या सुझाव दिए हैं। यह शक्ति संविधान द्वारा चुनाव आयोग को प्रदत्त है। दलों और संसद के मंचों के माध्यम से, जिनमें इस उद्देश्य के लिए गठित कई समितियां भी शामिल हैं, राजनेताओं ने बदलाव की इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा, सरकारों ने विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए सुझावों के जवाब में विशिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जहां तक



मुझे पता है, बदलाव की प्रक्रिया और इस संबंध में चल रही चर्चा लगभग निरंतर प्रक्रिया रही है।

भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, में एक विशाल और व्यापक चुनाव प्रणाली लागू है। 2014 में 18 से 19 वर्ष की आयु के 23.1 मिलियन योग्य मतदाता पहली बार मतदान कर रहे थे। 2014 में लोकसभा की 543 सीटों के लिए 8251 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। चुनाव में भाग लेने वाले योग्य मतदाताओं की संख्या 66.38% थी, जो भारतीय आम चुनावों के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मतदाता भागीदारी है। 81.45 करोड़ भारतीय योग्य मतदाताओं की सूची में शामिल थे, और 55.1 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया (चतुर्वेदी एट अल. 2018)। देश ने चुनावों पर कुल 3426 करोड़ रुपये खर्च किए। 16 मई, 2014 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए, और देश भर में लगभग 9,30,000 मतदान केंद्र थे। विश्व के अधिकांश देशों की कुल जनसंख्या की तुलना में, चुनाव कार्यबल कहीं अधिक बड़ा है। देश की स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने लोकसभा के लिए सोलह चुनाव और राज्य विधानसभाओं के लिए कई चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली में, चुनाव राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव राजनीतिक सत्ता को वैधता प्रदान करते हैं और चुनावों के दौरान जनता की इच्छा का निर्धारण करने के प्रभावी साधन हैं। दूसरी ओर, वर्तमान चुनाव आदर्श परिस्थितियों में नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए भारी मात्रा में शारीरिक बल और धन की आवश्यकता होती है। 1971 के पांचवें आम चुनाव के बाद से, भारत की चुनावी प्रणाली कई बड़ी खामियों से ग्रस्त रही है, जिनमें से एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार बाद के चुनावों में, विशेष रूप से अस्सी के दशक और उसके बाद हुए चुनावों में, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और इसकी आवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने नैतिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना, ऐसे उम्मीदवार और पार्टियां हैं जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

भारत के चुनावी सुधार और परिवर्तन-

1960 के दशक के उत्तरार्ध से भारत में चुनावी बदलावों की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी। उस समय तक चुनाव प्रणाली कुछ अनियमितताओं को छोड़कर काफी सुचारु रूप से चल रही थी, जो कि धांधली या हिंसा जैसी कुछ अनियमितताओं के रूप में सामने आती थीं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी। अधिकांश राज्यों और केंद्र सरकार पर एक ही राजनीतिक दल का शासन था। 1967 में हुए चौथे आम चुनाव के बाद, इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रीय दलों का उदय और दलों के गठबंधनों का नियंत्रण शुरू हो गया। राज्य में वैकल्पिक दल प्रशासनों के गठन के परिणामस्वरूप, राजनीतिक व्यवस्था में कुछ नकारात्मक विशेषताएं और विकृतियां अधिक स्पष्ट हो गईं। ये विशेषताएं और विकृतियां चुनावी राजनीति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। 1970 में, पहली बार एक



संसदीय समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य चुनाव कानून में हर संभव दृष्टिकोण से संशोधन प्रस्तावित करना था। दूसरी ओर, दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग होने के साथ ही इस समिति का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। नई लोकसभा के गठन के बाद, संसद ने 1971 में चुनाव कानून संशोधन पर एक संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की। श्री जगन्नाथ राव को इस सामूहिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया (धवन, एस. 2019)।

बाद के वर्षों में, चुनावी परिवर्तनों से संबंधित चिंताओं की जांच के लिए तारकुंडे समिति (1974), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), वी.के. कृष्ण अय्यर समिति (1994) और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) सहित कई समितियों का गठन किया गया। इनके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने समय-समय पर परिवर्तन के सुझाव भी दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी परिवर्तनों के संबंध में दिए गए प्रस्ताव 1977, 1982, 1990, 1992 और 2004 में प्रस्तुत किए गए थे। ये सिफारिशें 1970 से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठकों के मंच के माध्यम से चुनावी परिवर्तनों के सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त, विधि आयोग, जो कि 15वां विधि आयोग साबित हुआ, की स्थापना नवंबर 1977 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का व्यापक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी। इस शोध का उद्देश्य चुनावी परिवर्तनों को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों का निर्धारण और पहचान करना था। यह बताया गया है कि विधि आयोग ने चुनाव प्रणाली में सुधार से संबंधित अपनी 170वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करके इसकी भरपाई की है।

विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) -

विशेष गहन संशोधन या एसआईआर भारत के चुनाव आयोग द्वारा घर-घर जाकर गणना, पूर्व-भरे प्रपत्रों और पुराने मतदाता डेटा के सत्यापन के माध्यम से मतदाता सूचियों को सत्यापित और संशोधित करने के लिए किया गया एक अभ्यास है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा की (अक्टूबर 2025)

एसआईआर का उद्देश्य मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लिकेट और गैर-नागरिक मतदाताओं के नामों को हटाकर पूरे भारत में मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पात्र नागरिक छूट न जाएं।

राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली से की थी।



2025 में मतदाता सूची का संशोधन

2025 में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने की योजना बनाई। आयोग ने चिंता व्यक्त की कि पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में कई मतदाता पड़ोसी बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी थे, जिन्होंने दोहरे दस्तावेजों का उपयोग करके मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम और राष्ट्रीय जनता दल सहित राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा है। विपक्ष की मांग के बाद, मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर संसदीय बहस आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एसआईआर प्रक्रिया का देशव्यापी समर्थन करते हुए चुनाव आयोग और सरकार दोनों की इस कदम के लिए प्रशंसा की।

4 नवंबर 2025 को, ईसीआई ने औपचारिक रूप से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के चरण-II का शुभारंभ किया। इस अभ्यास में 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं

विशेष गहन पुनरावलोकन का उद्देश्य

विशेष गहन संशोधन का उद्देश्य तीव्र शहरीकरण, उच्च स्तर के प्रवासन, नए पात्र मतदाताओं के जुड़ने, अघोषित मौतों और विदेशी अवैध अप्रवासियों के नामों को हटाने के कारण मतदाता सूची को संशोधित करना है।

सुधारों के प्रस्ताव-

"पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य - रिट याचिका (सिविल) संख्या 536/2011" के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग को दो विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें देने का निर्देश जारी किया था। ये मुद्दे इस प्रकार हैं: (i) "राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना और आवश्यक विधि सुधार"; और (ii) "उम्मीदवारों द्वारा झूठे हलफनामे दाखिल करने का प्रभाव और परिणाम तथा ऐसी प्रथा पर रोक लगाने के लिए आवश्यक विधि सुधार"। इस फैसले को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपना पूरा ध्यान इन्हीं दो क्षेत्रों पर केंद्रित किया। कई विचार-विमर्शों के बाद, जिसके फलस्वरूप 1 फरवरी 2014 को एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया, आयोग ने अपनी 244वीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "चुनावी अयोग्यता" था, 24 फरवरी 2014 को भारत सरकार को प्रस्तुत की।



केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को भारत के विधि आयोग द्वारा संकलित "चुनावी सुधार" पर रिपोर्ट संख्या 255 प्राप्त हुई। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एपी शाह ने इस 201 पृष्ठों की रिपोर्ट को गहन विचार-विमर्श और कई हितधारकों, जिनमें पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल शामिल थे, के साथ विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में उल्लिखित अनेक समस्याओं का सारांश निम्नलिखित है:

1. **चुनाव वित्त:** विधि आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्चों के मुद्दे पर व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिनमें सीमाएं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए खुलासे की बाध्यताएं और राजनीतिक दलों पर लगाए जा सकने वाले दंड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विधि आयोग ने चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण के मुद्दे की भी जांच की है। राजनीतिक अभियानों के वित्तपोषण की एक तकनीक का उदाहरण चुनावी बांड प्रणाली है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य काले धन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले वित्तपोषण और चंदे में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना था। केवल वही राजनीतिक दल बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एक प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, आयोग का मानना है कि ऐसी प्रणाली को लागू करना संभव नहीं होगा जो चुनावों का वित्तपोषण पूरी तरह से राज्य द्वारा करे या जो मिलान अनुदान प्रदान करे।
2. **राजनीतिक दलों का नियमन और दलीय लोकतंत्र** - लोकतांत्रिक सिद्धांत में प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र दोनों का वर्णन शामिल है। इसका एक उदाहरण राजनीतिक दलों का नियमन और दलों के भीतर विद्यमान लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रथाओं में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव और गुप्त मतदान शामिल हैं। दूसरी ओर, वास्तविक लोकतंत्र का संबंध दलों के आंतरिक लोकतांत्रिक कामकाज से है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले माने जाते हैं। इस खंड में, हम दलों के भीतर होने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ दलों के संचालन और उनके नियंत्रण के तरीके पर चर्चा करेंगे।
3. **आनुपातिक प्रतिनिधित्व:** यह स्पष्ट है कि दोनों चुनाव प्रणालियों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। दूसरी ओर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सैद्धांतिक रूप से अधिक प्रतिनिधि प्रणाली है, हालांकि फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली अधिक स्थिर है। अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि भारत की चुनाव प्रणाली में किसी भी संशोधन के लिए एक मिश्रित पद्धति का पालन करना होगा जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चुनावों के कुछ हिस्से शामिल हों। इसके



परिणामस्वरूप, लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे लोकसभा के कामकाज की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

4. **भारत में दलबदल विरोधी कानून:** विधि आयोग ने संविधान की दसवीं अनुसूची में उपयुक्त संशोधन का सुझाव दिया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप दलबदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल (जैसा भी मामला हो) को दिया जाएगा (अध्यक्ष या अध्यक्ष के बजाय), जो चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इससे अध्यक्ष के पद की गरिमा बनाए रखने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय सुनाया है जिसके विधानसभाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। पहली बात, राज्य विधानसभाओं और संसद दोनों के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सदस्यों को अयोग्य घोषित करने वाली याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि प्रक्रिया में देरी होने की स्थिति में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। दूसरे, न्यायालय ने संसद को यह सिफारिश की कि वह अध्यक्षों की अयोग्यता शक्तियों को समाप्त करने और इन याचिकाओं के निपटान के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना पर गंभीरता से विचार करे। चूंकि अध्यक्ष लगभग हमेशा सत्ता में मौजूद दलों से ही आते हैं और राजनीतिक तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारा यह विचार इसी तथ्य पर आधारित है।
5. **भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय को सुदृढ़ बनाना:** भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रथम, आयोग के सभी सदस्यों को हटाने योग्य मामलों में समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए; द्वितीय, निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को परामर्श आधारित बनाया जाना चाहिए; और तृतीय, ईसीआई के लिए एक स्थायी लेकिन स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए।
6. **सशुल्क समाचार और राजनीतिक विज्ञापन - आरपी अधिनियम, 1951 में संशोधन करके** यह प्रावधान किया जाए कि किसी भी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना को बढ़ाने या उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से "सशुल्क समाचार" प्रकाशित करना और प्रकाशन में सहायता करना, आरपी अधिनियम, 1951 के भाग-सातवें के अध्याय-तृतीय के अंतर्गत चुनावी अपराध माना जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम दो वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा। राजनीतिक विज्ञापनों को छिपाकर प्रकाशित करने की प्रथा को रोकने के लिए सभी प्रकार के



मीडिया के लिए प्रकटीकरण उपाय अनिवार्य किए जाने चाहिए; इससे इस प्रकार के व्यवहार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।

7. **लोक प्रतिनिधित्व-** अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, जो अन्य बातों के अलावा, किसी भी सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन, आयोजन या उसमें भाग लेने पर रोक लगाती है, तथा "सिनेमा, टेलीविजन या अन्य समान उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष किसी भी चुनावी सामग्री का प्रदर्शन" मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले के अड़तालीस घंटों की अवधि के दौरान निषिद्ध है। इस निषेध का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास, या दोनों दंड हो सकते हैं।
8. **विधि आयोग भारत में अनिवार्य मतदान लागू करने की अनुशंसा नहीं करता है।** वास्तव में, आयोग का मत है कि यह ऊपर वर्णित विभिन्न कारणों से अत्यंत अवांछनीय है, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह लोकतांत्रिक नहीं है, यह अवैध है, यह खर्चीला है, यह राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता की गुणवत्ता में सुधार करने में असमर्थ है, और इसे लागू करना कठिन है।
9. **चुनाव के लिए याचिका दायर करना:** चुनाव आयोग ने "चुनाव संबंधी विवादों के समाधान" के लिए कई तरह के समायोजन प्रस्तावित किए हैं। ऐसी स्थितियों में जब अधिकांश मत NOTA विकल्प के पक्ष में डाले गए हों, विधि आयोग वर्तमान में NOTA अवधारणा के विस्तार के खिलाफ है, जिसमें उम्मीदवार को अस्वीकार करने और चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार शामिल किया गया हो। इसका कारण यह है कि विधि आयोग का मानना है कि अस्वीकार करने का अधिकार सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
10. **पुनः बुलाने का अधिकार** विधि आयोग किसी भी रूप में पुनः बुलाने के अधिकार को लागू करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे अत्यधिक लोकतंत्र की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यह निर्वाचित उम्मीदवारों की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, यह अल्पसंख्यक समूहों के हितों की अनदेखी करता है, इससे दुरुपयोग और दुर्यवहार की संभावना बढ़ जाती है, व्यवहार में इसे लागू करना कठिन और खर्चीला है, और भारत में इसे लागू करना विशेष रूप से कठिन और खर्चीला है क्योंकि यहाँ 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली लागू है।
11. **मतगणना हेतु कुल योगमापी** - आयोग इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती के लिए कुल योगमापी के उपयोग हेतु चुनाव आयोग द्वारा किए गए अनुरोध का पुनः समर्थन करता है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में मतदाताओं के उत्पीड़न को रोकना है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान के रुझान का पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों



(ईवीएम) के प्रचलन से पहले, चुनाव नियमों के नियम 59ए के अनुसार मतपत्रों को संयोजित करना संभव था, लेकिन ईवीएम के लिए यह अधिकृत नहीं था। कुल योगमापी के उपयोग से मतगणना प्रक्रिया के दौरान वोटों की गोपनीयता में वृद्धि होगी। इससे मतदान के रुझान उजागर होने से बचेंगे और डराने-धमकाने तथा उत्पीड़न की आशंकाओं को दूर किया जा सकेगा।

12. सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध आयोग का सुझाव है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों को विनियमित और प्रतिबंधित करने के उपाय किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना, सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने जैसे पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सत्तारूढ़ दल या उम्मीदवार को चुनावों के दौरान दूसरे दल या उम्मीदवार पर अनुचित लाभ न मिले।
13. किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या पर प्रतिबंध विधि आयोग आरपीए की धारा 33(7) में संशोधन का सुझाव देता है। यह प्रावधान किसी उम्मीदवार को अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से किसी भी चुनाव (संसदीय, विधानसभा, द्विवार्षिक परिषद या उपचुनाव) में चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। विधि आयोग इस प्रावधान में संशोधन की सलाह देता है। चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले समय और प्रयास, मतदाताओं की थकान और उन्हें होने वाली असुविधा को देखते हुए, धारा 33(7) में संशोधन आवश्यक है ताकि उम्मीदवार केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकें।
14. विधि आयोग द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है। इसका कारण यह है कि वर्तमान प्रणाली में बड़ी संख्या में स्वतंत्र उम्मीदवारों को अनुमति है, जिनमें से अधिकांश या तो दिखावटी या गैर-गंभीर उम्मीदवार हैं या वे उम्मीदवार हैं जो मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से (एक ही नाम से) चुनाव लड़ते हैं। अतः आरपीए की धारा 4 और 5 में संशोधन करना आवश्यक है ताकि केवल वही राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में भाग ले सकें जो धारा 11(4) के अनुसार ईसीआई के साथ पंजीकृत हैं। सामान्य मतदाता सूची का निर्माण और इन सूचियों का अनुप्रयोग: संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय स्तरों के चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूचियों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए प्रस्तावों का विधि आयोग द्वारा समर्थन किया गया है (जोशी आर. 2020)।

15 .अधिकारी

- मूल और राजनीतिक वाद्योंत्रों को अपने आय के संसाधनों का खुलासा करना अनिवार्य है।



- सूची प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुचित प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है।

16. किरायेदारी की भागीदारी

- मतदान की न्यूनतम आयु कम हो गई है, जिससे युवा मतदाता भी लोकतंत्र प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं।
- डाक मतपत्र (डाक मतपत्र) की सुविधा दी गई है, ताकि बेघर लोग भी अपनी राय व्यक्त कर सकें।
- चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से वोटिंग को और अधिक सुरक्षित और अवैध बनाया गया।
- मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार से लिंक किया गया, जिससे मतदाता नामांकन सरल और मान्य हो गया।

17. प्रौद्योगिकी का उपयोग

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): मशीन की गति बढ़ाने और मशीन टूल को कम करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है।
- नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं): मतदाता को यह विकल्प दिया गया है कि वे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करें, निर्णय ले लें।

18. सभी को समान अवसर प्रदान करना

- आदर्श आचार संहिता (आदर्श आचार संहिता): सभी आदर्शों को एक समान आदर्श का पालन करना अनिवार्य है।
- उद्यमिता व्यय की अधिकतम सीमा: चुनावी वित्तीय योजनाओं को कम करने और सभी को समान अवसर देने के लिए व्यय की सीमा निर्धारित की गई है।
- मार्केटिंग पोल पर रोक: चुनाव के दौरान डाक टिकट बनाए रखने के लिए निर्धारित समय तक मार्केटिंग पोल पर रोक लगा दी जाती है।

चुनावी सुधारों की आवश्यकता-

प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, यही कारण है कि नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। केवल चुनावों के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व, सरकार का गठन, सरकार पर नियंत्रण और सत्ताधारी राजनीतिक दलों में परिवर्तन संभव हो पाते हैं। चुनाव ही इन सभी कार्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसी कारण चुनाव संसदीय लोकतंत्र की एक अनिवार्य



विशेषता है। दूसरी ओर, केवल चुनाव ही जनता की आशाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। चुनावों के संदर्भ में, लोकतंत्र और "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव" अविभाज्य जुड़वां हैं (बरुआ 2018, पृष्ठ 1)। इस संबंध में, चुनावी सुधारों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव बना दिया है। जब हम चुनावी सुधारों की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उन सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन से है जो अधिक जिम्मेदार संसदीय लोकतंत्र, संरचनात्मक दोषों का निवारण, स्वच्छ राजनीति, ईमानदार राजनीतिज्ञ, जनता के विश्वास का संरक्षण और सटीक प्रतिनिधित्व जैसे उद्देश्यों को सुनिश्चित करती हैं। यदि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र, कम से कम व्यावहारिक रूप में, भले ही आदर्श रूप में न हो, कायम रहे, तो हमें चुनावी बदलाव लागू करने होंगे, और हमें यह यथाशीघ्र करना होगा (छोकर 2010, वेबपेज 3977)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324-329 में चुनाव और चुनावी सुधारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

भारत में चुनावी सुधारों के कई पहलू हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि में पारदर्शिता; चुनाव प्रक्रियाओं को धन और बाहुबल के प्रभाव से मुक्त करना; चुनाव निधि में पारदर्शिता; भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार की गारंटी; राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करना; मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा; राजनीतिक दलों का निष्पक्ष पंजीकरण और मान्यता; मतदाता सूची से नाम हटाने की समस्या का समाधान; मीडिया की निष्पक्ष भूमिका; आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुप्रयोग; और मौजूदा चुनावी प्रक्रियाओं का युक्तिकरण। चुनावी सुधारों की आवश्यकता मुख्य रूप से युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने, धन और बाहुबल के प्रभाव को हतोत्साहित करने, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को समाप्त करने, सरकार में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने, चुनाव आयोग को मजबूत करने, चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाने और चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भी महसूस की गई है। भारत में संसद सदस्यों के चुनाव 2019 में हुए और भारत की जनता ने अंततः अपना निर्णय दिया। इस सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लगभग 613 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लंबे समय तक खिंचे और विवादों से घिरे चुनावी अभियान का अंत इस क्षण में हुआ। इस चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। यह कहना मुश्किल है कि 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका होगी या नहीं। मतदाताओं और विपक्षी संस्थाओं की नज़र में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता धूमिल हो गई है। देखा जाए तो चुनाव आयोग एक कॉर्पोरेट निगम के शेयरधारकों की तरह काम कर रहा था। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की समस्या ने लोगों का विश्वास कम कर दिया



है। इसलिए इन चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली में सुधार का समय आ गया है (मोहंती, पी. 2019)।

भारतीय लोकतंत्र पर चुनावी और प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव-

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय लोकतंत्र पर चुनावी और प्रशासनिक परिवर्तनों के प्रभाव का प्रश्न आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य चुनावी प्रणाली में सुधार करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। दूसरी ओर, प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और शासन तंत्र को मजबूत करना है। यह लेख भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चुनावी और प्रशासनिक परिवर्तनों के प्रभावों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1. चुनावी सुधार:

- A. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का परिचय: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग से मतदान प्रक्रिया अधिक कुशल हो गई है, चुनावी धोखाधड़ी में कमी आई है और परिणामों की गणना में तेजी आई है। इस तकनीक के परिणामस्वरूप चुनाव अधिक सटीक और कुशल हो गए हैं, जिससे चुनावी प्रणाली की समग्र निष्पक्षता में योगदान मिला है।
- ख) चुनाव प्रचार वित्त नियमन: चुनाव प्रचार निधि का नियमन चुनावी सुधारों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है, जिसका उद्देश्य राजनीति में धन के प्रभाव को कम करना है। खर्च की सीमा, पारदर्शिता नियमन और निगरानी प्रक्रियाओं जैसे उपायों को लागू करके उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अंततः चुनावों की निष्पक्षता में वृद्धि होगी।
- ग) मतदाता पंजीकरण और शिक्षा: मतदाता पंजीकरण और शिक्षा पर केंद्रित सुधारों के परिणामस्वरूप मतदाताओं की भागीदारी और जागरूकता में वृद्धि हुई है। अधिक निवासियों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी है। यह ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, मतदाता पहचान पत्र और मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों जैसी पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किया गया है।
- घ) राजनीतिक दलों में सुधार: राजनीतिक दलों में सुधार के प्रयासों में आंतरिक लोकतंत्र, दल के वित्तपोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य दलों के



भीतर नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, दलीय लोकतंत्र को मजबूत करना और राजनीतिक संस्थानों में जनता का विश्वास बढ़ाना है।

2. प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार:

- A. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम): आरटीआई अधिनियम के माध्यम से व्यक्तियों को सरकार से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया गया है, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है और जनता को सरकार के कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाया गया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, जवाबदेही में सुधार हुआ है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो गई है।

ख) डिजिटल शासन के लिए पहल: प्रशासनिक परिवर्तनों ने डिजिटल शासन संबंधी पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार, दक्षता को बढ़ावा देने और नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल भुगतान विधियाँ जैसी पहलों के कार्यान्वयन से शासन सभी नागरिकों की आवश्यकताओं के लिए अधिक सुलभ और उत्तरदायी बन गया है।

ग) भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय : सार्वजनिक पदों पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय लागू किए गए हैं। इन प्रयासों में विधायी परिवर्तन, संस्थागत सुदृढीकरण और जन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इनपहलों का उद्देश्य शासन की अखंडता को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए।

3. लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रभाव:

- A. चुनावी निष्पक्षता में वृद्धि: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग और चुनाव प्रचार के लिए धन संबंधी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप चुनावी निष्पक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे धोखाधड़ी और कदाचार की घटनाओं में कमी आई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया में जनता का बढ़ता विश्वास इसका प्रत्यक्ष परिणाम है।

ख) मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि: मतदाता पंजीकरण और शिक्षा अभियानों ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है, विशेष रूप से उन वर्गों में जो वंचित हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं। नागरिकों की अधिक भागीदारी से ही अधिक समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास होता है।



- ग) सशक्त जनता: सूचना का अधिकार अधिनियम और डिजिटल शासन प्रयासों जैसे सुधारों ने लोगों को सरकार को जवाबदेह ठहराने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और महत्वपूर्ण सेवाओं तक शीघ्रता से पहुँचने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है।
- घ) शासन और पारदर्शिता में सुधार: प्रशासनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप शासन संरचनाओं में सुधार हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार में कमी आई है। इसके फलस्वरूप, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास बढ़ा है और लोकतांत्रिक शासन को मजबूती मिली है।

निष्कर्ष

भारत में चुनावी और प्रशासनिक परिवर्तनों से चुनाव की निष्पक्षता बढ़ी है, नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि हुई है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अधिक विकसित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग, चुनाव प्रचार के लिए धन संबंधी नियम और मतदाता पंजीकरण कार्यक्रमों ने मतदान प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार किया है और कदाचार के मामलों में कमी लाई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का कार्यान्वयन, डिजिटल शासन के प्रयास और भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों ने सरकार में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है। फिर भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानताएं, नौकरशाही की अक्षमताएं और भ्रष्टाचार के मुद्दे अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन कठिनाइयों को समग्र रूप से प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों के लाभकारी प्रभावों को बनाए रखते हुए और शेष बाधाओं को दूर करते हुए प्रगति जारी रखना महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, समावेशी शासन का समर्थन करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जवाबदेही को प्रोत्साहित करना और समान प्रतिनिधित्व की गारंटी देना भारतीय लोकतंत्र की बदलती गतिशीलता को प्रभावी ढंग से समझने के लिए आवश्यक आधार हैं। भारतीय लोकतंत्र की भविष्य की दिशा निर्धारित करने और लोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए निरंतर अध्ययन, मूल्यांकन, सार्वजनिक चर्चा और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।



संदर्भ

1. आचार्य, एस. (2020). भारत में राजनीतिक सुधार: एक आलोचनात्मक विश्लेषण. जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 15(2), 78-92.
2. चतुर्वेदी, एस., और श्रीवास्तव, ए. (2018). भारत में राजनीतिक दलों पर चुनावी सुधारों का प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 79(3), 457-470.
3. भारतीय चुनावी सुधार आयोग। (2017)। चुनावी और प्रशासनिक सुधारों पर रिपोर्ट। नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. धवन, एस. (2019). भारत में चुनावी अखंडता: चुनौतियाँ और संभावनाएँ। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अखंडता जर्नल, 5(1), 23-39.
5. भारत निर्वाचन आयोग। (2021)। चुनावी सुधारों पर हैंडबुक। नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।
6. गोपीनाथ, एस., और सिंह, ए. (2016). राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना: भारतीय विधानमंडल में आरक्षण नीति का प्रभाव। जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 32(4), 567-582.
7. भारत सरकार. (2019). प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट. नई दिल्ली: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय.
8. हुक्केरी, आर., और कुलकर्णी, एस. (2018). भारत में ई-गवर्नेंस: चुनौतियाँ और अवसर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 41(7), 564-578.
9. इंडिया टुडे. (2022). विशेष रिपोर्ट: भारतीय लोकतंत्र पर चुनावी और प्रशासनिक सुधारों के प्रभाव का आकलन।
10. जैन, एम. (2017). भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना: चुनावी और प्रशासनिक सुधारों की भूमिका। जर्नल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 12(2), 145-160.
11. जोशी, आर. (2020). भारतीय राजनीति में चुनावी वित्तपोषण और भ्रष्टाचार। जर्नल ऑफ पब्लिक एथिक्स, 25(3), 321-335.
12. कुमार, ए., और सिंह, आर. (2019). भारत में चुनावी अखंडता पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 84(4), 567-582.
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Intensive_Revision